

क्र. जेपीडी/मुअ(वा)/सी-1/एफ.4 (357)/प्र. 29 दिनांक 03.01.2008

**शुद्धि-पत्र**

**विषय- "विद्युत अधिनियम-2003" में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन सशि (Compounding charges) एवं सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की गणना कर नोटिस जारी करने के प्रपत्र (Form) में संशोधन।**

उपरोक्त विषय में विद्युत विभाग द्वारा आदेश क्रमांक जेपीडी/मुअ(वा)/सी-1/एफ.4(357)/ प्र.2058 दि. 25.10.07 (JPRS-428) जारी किया गया था। इस आदेश के साथ प्रथम बार बिजली चोरी का अपराध प्रशमन (Compoundable) योग्य होने के कारण उस अपराध की कम्पाउण्डिंग हेतु उस व्यक्ति को दिये जाने वाले नोटिस का संशोधित प्रपत्र (Proforma), भी प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त संशोधित प्रपत्र (Proforma) सप्लीमन्टरी कोर्ट्स (Special Courts) द्वारा अभी भी अधूरा माना जाकर उनके द्वारा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें निहित शब्द "जुर्माना" को यही नहीं मना है।

उपरोक्त संदर्भ में पुनः विचार-विमर्श करके उक्त प्रपत्र (Proforma) में फिर से संशोधन कर संशोधित प्रपत्र अनुलग्नक-1 के अनुसार जारी किया गया है। "जुर्माना" शब्द को "प्रशमन (Compounding)" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। भविष्य में इसी संशोधित प्रपत्र (Proforma) में नोटिस जारी किये जावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस नोटिस में प्रशमन (Compounding) शब्द के अलावा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि भी अंकित कर दी गई है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(अनुलग्नक-1)

ह

(जी.एल. अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
**कार्यालय जॉच अधिकारी**

क्र. जयपुर डिस्कॉम/स.व. /सतर्कता /एफ. /प्रे. दिनांक

**नोटिस**

प्रेषित,

श्री	पुत्र श्री	
ग्राम	तहसील/जिला	पुलिस थाना
खाता संख्या	वी.सी.आर. नं.	दिनांक
श्रेणी	सम्बद्ध भार	स्वीकृत भार

नाम जॉच अधिकारी सहायक अभियंता /सतर्कता, ज.वि.वि.नि.लि., .....

आपके..... स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में  
दि. .... को सतर्कता जॉच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003  
के अन्तर्गत निर्धारित अपराध करना पाया गया :-

1. बिना वैध कनेक्शन के विद्युत का अनाधिकृत उपभोग।
2. बिना मीटर के छेड़छाड़ कर अनाधिकृत उपभोग।
3. मीटर/केबिल/ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ व उसको नुकसान पहुँचाकर मीटरिंग को बाधित करना।
4. अन्य।

इस संबंध में सतर्कता जॉच प्रतिवेदन संख्या ..... दिनांक .....  
तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत आपको, प्रथम अपराध के लिए, प्रशमन का अधिकार प्राप्त है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए रु. .... प्रशमन (Compounding) राशि सात दिवस के भीतर सहायक अभियंता ( ), ज.वि.वि.नि.लि. .... के कार्यालय में जमा करवा सते हैं अन्यथा आपके विरुद्ध सिविल लाइबिलिटी की राशि रुपये ..... वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय, विद्युत अपराध के माध्यम से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

**जाँच अधिकारी**  
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियंता ( ) ज.वि.वि.नि.लि. ....

**जाँच अधिकारी**

\*\*\*\*\*